Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **टोंक में टोड़ारायसिंह नगरपालिका चैयरमेन व रेनबसेरा कर्मी(प्राईवेट) 1 लाख 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *18 जुलाई सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर टोंक इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुए भरतलाल सैनी हाल चैयरमेन नगरपालिका टोड़ारायसिंह जिला टोंक व रेनबसेरा कर्मी (प्राईवेट) दिनेश सैनी को परिवादी से **1 लाख 50 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की टोंक इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि हमारे द्वारा ग्राम रतवाई तहसील टोड़ारायसिंह में काटी जाने वाले कॉलोनी में किसी प्रकार का विवाद नही करवाने की एवज में नगरपालिका टोड़ारायसिंह के चैयरमेन भरतलाल सैनी द्वारा अपने पी0ए0 दिनेश सैनी के मार्फत **3 लाख 50 हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर **एसीबी अजमेर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री समीर कुमार सिंह के निर्देशन में** टोंक इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेश आर्य** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर मय टीम के आज ट्रेप कार्यवाही करते हुए 1–भरतलाल सैनी पुत्र नन्दालाल सैनी निवासी वॉर्ड नं0 2 बीओबी बैंक के सामने टोड़ारायसिंह जिला टोंक, हाल चैयरमेन नगरपालिका टोड़ारायसिंह जिला टोंक तथा 2–दिनेश कुमार सैनी पुत्र पप्पूलाल सैनी निवासी वॉर्ड नं0 2 टोड़ारायसिंह जिला टोंक, हाल रेनबसेरा कर्मी (प्राईवेट) नगरपालिका टोड़ारायसिंह जिला टोंक को परिवादी से **1 लाख 50 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपियान द्वारा परिवादी से 20 हजार रूपये रिश्वत राशि पूर्व में ही सत्यापन के दौरान वसूल की गई थी।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपियान के आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।